UPJS010003382023

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, झाँसी।

पीठासीन- कमलेश कच्छल, एच०जे०एस० (JO Code No- UP1881)

सत्रवाद संख्या- 93/ 2023

सरकार **बनाम** **राजकुमार आदि**

धारा- 302, 201/ 34 भा०दं०सं०
थाना- बरूआसागर, जिला- झाँसी।
मु०अ०सं०- 228/ 2022

दिनांक- 22. 04. 2026

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर अभियुक्तगण मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) उपस्थित। पत्रावली वास्ते सुनवाई/ निस्तारण प्रार्थना पत्र 130B नियत है।

प्रार्थनापत्र 130B अभियुक्त राजकुमार की ओर से इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि मामले में बचाव पक्ष के साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिनांक- 07. 04. 2026 को समाप्त कर दिया गया है। अभियुक्त के पास मामले का एक महत्वपूर्ण गवाह मौजूद है, जिसे वह न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता है। न्यायहित में आदेश दिनांकित- 07. 04. 2026 निरस्त/ रिकॉल कर अभियुक्त को एक गवाह प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करने की कृपा की जाये।

उक्त प्रार्थना पत्र के साथ एक अन्य प्रार्थना पत्र 131B भी अभियुक्त की ओर से मय शपथ पत्र 132B इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि मामला धारा- 302, 201/ 34 भा०द०सं० से संबंधित गम्भीर प्रकृति का है, जिसमें अभियुक्त ने अपनी बेगुनाही के संबंध में CCTV फुटेज माननीय न्यायालय के समक्ष साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किये है, जिसके संबंध में धारा- 65B भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जा चुका है। उक्त वीडियो/ फुटेज को मूल DVR कम्प्यूटर सिस्टम से एक पेनड्राईव में कॉपी किया गया था, जिसे शिवम गुप्ता पुत्र अखलेश कुमार गुप्ता, निवासी- PNB बैंक के पास, शिवाजी नगर, झाँसी द्वारा तैयार किया गया था। गवाहान सूची में उक्त व्यक्ति शिवम गुप्ता का नाम शामिल नहीं किया जा सका था, जबकि शिवम गुप्ता पेनड्राईव तैयार करने के कारण मामले का महत्वपूर्ण व आवश्यक गवाह है। यदि उसे साक्ष्य हेतु नहीं बुलाया गया, तो अभियुक्त को अपूर्तनीय क्षति होगी। उक्त आधार पर पेनड्राईव तैयार करने शिवम गुप्ता को अतिरिक्त बचाव साक्षी के रूप में तलब किये जाने याचना की गई है।

उक्त प्रार्थना पत्र 131B के हाशिये पर विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा इस आशय की आपत्ति पृष्ठांकित की गई बचाव साक्ष्य पूर्ण होने के बाद साक्ष्य का अवसर समाप्त हो गया है, गवाहान सूची में उक्त गवाह का नाम उल्लिखित नहीं है। उक्त आधार पर बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र को निरस्त किये जाने की याचना की गई।

सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन किया।

प्रपत्रों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि मामला धारा- 302, 201/ 34 भा०द०सं० से संबंधित गम्भीर प्रकृति का है, जिसमें अभियुक्त द्वारा बचाव साक्ष्य में CCTV फुटेज की पेन ड्राईव 129A दाखिल करते हुए उसके संबंध में धारा- 65B भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत प्रमाण पत्र 127B भी प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त का कथन है कि पेनड्राईव में संरक्षित वीडियो/ फुटेज को मूल DVR कम्प्यूटर सिस्टम से शिवम गुप्ता द्वारा पेनड्राईव में कॉपी की गई है, परन्तु उक्त व्यक्ति को गवाहान सूची में शामिल नहीं किया जा सका है। उक्त व्यक्ति मामले का महत्वपूर्ण गवाह है और पेनड्राईव के संबंध में धारा- 65B भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत दाखिल प्रमाण पत्र साबित न होने पर अभियुक्त द्वारा पेन ड्राईव में प्रस्तुत CCTV फुटेज की गवाही निष्प्रभावी हो जायेगी। यद्यपि विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पर आपत्ति की गई है। किन्तु मामले के गुणदोष के आधार पर उचित न्याय निर्णयन हेतु न्यायहित में अभियुक्त को बचाव साक्ष्य में धारा- 65B भारतीय साक्ष्य अधिनियम के निष्पादन के संबंध में साक्ष्य का एक अवसर प्रदान किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

Digitally signed by Kamlesh Kuchhal
Date: 2026.04.22 17:46:30 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

अतः अभियुक्त राजकुमार की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र 130B **स्वीकार** किया जाता है एवं न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित- 07. 04. 2026 को रिकॉल करते हुए अभियुक्त को बचाव साक्ष्य में धारा- 65B भारतीय साक्ष्य अधिनियम के निष्पादन के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जाता है। तदनुसार प्रार्थना पत्र 131B में उल्लिखित गवाह- **शिवम गुप्ता पुत्र अखलेश कुमार गुप्ता, निवासी- PNB बैंक के पास, शिवाजी नगर, झाँसी** अग्रिम नियत **दिनाँक- 27. 04. 2026** के लिये जरिये **सम्मन तलब** हो। अभियुक्त आवश्यक पैरवी करना सुनिश्चित करें।

तदनुसार प्रार्थना पत्र 130B व 131B **निस्तारित** किया जाता है। पत्रावली वास्ते बचाव साक्ष्य **दिनांक- 27. 04. 2026** को पेश हो।

(कमलेश कच्छल)
सत्र न्यायाधीश,
झाँसी।

दिनांक- 22. 04. 2026